

कार्यालय : प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय महेन्द्र, पटना-6

पत्रांक- 26

प्रेषक:-

सीमा रानी
सहायक निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)
शिक्षा विभाग, बिहार पटना-सह-प्राचार्य,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, महेन्द्र, पटना-6

सेवा में,
चयनित अभ्यर्थीगण
डी०एल०एडी० कोर्स, सत्र-2020-22

महेन्द्र, पटना, दिनांक 05.02.2021

विषय:- "डिप्लोमा-इन-एलीमेन्ट्री एडुकेशन" पाठ्यक्रम के सत्र 2020-22 में नामांकन हेतु उपस्थित होने के संबंध में।

महाशय,


आपके द्वारा विषयांकित पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु समर्पित आवेदन-पत्र के क्रम में सूचित करना है कि आपका चयन उक्त पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु किया गया है। कृपया निम्नांकित अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (दो-दो अभिप्रमाणित छायाप्रति) के साथ दिनांक 06.02.2021 से 09.02.2021 तक (रविवारीय अवकाश को छोड़ कर) किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर नामांकन करायें।

उपरोक्त तिथि को उपस्थित नहीं होने पर यह माना जायेगा कि आप नामांकन हेतु इच्छुक नहीं हैं एवं प्रकारेण आपका नामांकन हेतु दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा। तत्पश्चात् आपके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से नामांकन लिया जायेगा। अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त नामांकन शुल्क के रूप में रु० 11,500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ) रुपये मात्र एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्त के लिए 7000 (सात हजार) रुपये मात्र प्रति अभ्यर्थी वर्ष के दर से बैंक ड्राफ्ट जो **PRINCIPAL, PTEC, MAHENDRU, PATNA. Payable at PATNA** के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महेन्द्र शाखा, पटना से देय हो, साथ में लाना अनिवार्य है। (बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से मान्य है)


निम्नलिखित दस्तावेजों की एक मूल एवं दो छायाप्रति का फोल्डर बना कर लाना है:-

1. शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र (मैट्रिक एवं इन्टरमिडियट)
2. महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र (सी.एल.सी.) अथवा महाविद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)
3. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र।
4. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।
5. सक्षम पदाधिकारी/बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र।
6. EWS प्रमाणपत्र।
7. ऑनलाईन आवेदन का मूल प्रति।
8. दो पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ जो दिनांक 21.12.2020 के पूर्व का न हो।
9. 21 जनवरी, 2020 से पूर्व निर्धारित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही डी०एल०एडी० कोर्स सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए योग्य होंगे।

महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र/टी.सी. को छोड़कर शेष उक्त सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरान्त ही वापस किया जायेगा। कृपया उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र कॉम्पैक्ट फाइल जो चारों तरफ से बंद होने वाला हो, तीन प्रति में लायेंगे, ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। किसी भी स्तर पर गलत सूचना पाये जाने पर नामांकन रद्द कर दी जायेगी।


(नामांकन प्रमारी)

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
महेन्द्र, पटना-6


(सीमा रानी)

सहायक निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)
शिक्षा विभाग, बिहार पटना-सह-प्राचार्य,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
05.02.2021